

**नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप
प्रपत्र-ख**

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

.....

महोदय,

मैं पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या

की प्रारूप मतदाता सूची के क्रमांक पर का नाम सम्मिलित किए जाने पर निम्नलिखित कारण(णों) से आक्षेप करता/करती हूँ।

.....

.....

.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रकाशित प्रारूप नामावली में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हुआ है --

पूरा नाम पुरुष/स्त्री

पिता/पति/माता का नाम

क्रम संख्या

आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान

पूरा डाक पता

तारीख

.....

की गई कारवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी, जो का/की निवासी है, द्वारा किए गये आक्षेप को-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रम संख्या पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को निकाल दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामजूर कर दिया गया है।

.....

.....

स्थान :

प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

तारीख

.....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी, जो का/की निवासी है, से प्रपत्र-ख में आवेदन प्राप्त हुआ है।

स्थान :

प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

तारीख

.....